कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-23.07.2024

विषय:- थाना मंडुवाडीह पुलिस टीम द्वारा 02 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चुराये गये रुपयों मे से शेष बचे कुल 57380/- रु0 नगद बरामद ।

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी द्वारा अपराध एवं अपराधियों की की रोकथाम तथा चोरी/लूट/नकबजनी की घटनाओं के अनावरण एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन में, श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के पर्यवेक्षण में एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त रोहनिया के नेतृत्व में, मुखबिर की सूचना पर थाना मंडुवाडीह पुलिस टीम द्वारा मु0अ0स0 143/2024 धारा 303(2) बी0एन0एस0 थाना मंडुवाडीह कमिश्नरेट वाराणसी से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण 1. संतोष कुमार भारती उर्फ मास पुत्र राजकुमार भारती निवासी डीह बाबा मन्दिर नई बस्ती लहरतारा थाना मण्डुवाडीह वाराणसी व 2. विनोद कुमार उर्फ कल्लू पुत्र महेन्द्र प्रसाद निवासी डीह बाबा मन्दिर के पीछे नई बस्ती लहरतारा थाना मण्डुवाडीह वाराणसी को आज दिनांक-23.07.2024 को समय करीब 02.50 बजे लहरतारा चौराहे से गेट नं0-04 से गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से मुकदमा उपरोक्त मे चोरी गये रुपयों मे से शेष बचे कुल 57380/- रु0 नगद बरामद हुए। उक्त गिरफ्तारी/बरादमगी के सम्बन्ध में थाना मंडुवाडीह पुलिस द्वारा अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण- दिनांक-22.07.2024 को वादी मुकदमा श्री मनीष सेठ पुत्र स्व0 रविन्द्र सेठ निवासी लहरतारा थाना मंडुवाडीह वाराणसी ने दिनांक-21.07.24 को एक लड़के नाम पता अज्ञात द्वारा उनकी दुकान में घुसकर दराज मे रखे 65000/- रु0 चुरा लेने के सम्बन्ध में लिखित प्रार्थना पत्र दिया, जिसके आधार पर थाना मंडुवाडीह मे मु0अ0सं0-143/2024 धारा 303(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उ0नि0 पवन यादव द्वारा संपादित की जा रही है। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में बढोत्तरी धारा 317(2) बी0एन0एस0 की बढोत्तरी की गयी।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्तगण संतोष कुमार भारती उर्फ मास व विनोद कुमार उर्फ कल्लू ने पूछताछ करने पर बताया कि हम दोनों मिलकर दिनांक-21/07/2024 को डिवाइन सैनिक स्कूल बी0एल0डब्ल्यू0 रोड के पास स्थित मनीष सेठ की ई-रिक्शा की दुकान के दराज मे रखे 65000/-रुपये चोरी कर लिए थे। बाद में हम लोगों को जब पता चला कि पुलिस हम लोगों की तलाश कर रही है तो इसी वजह से आज हम लोग अपने आपको छिपते-छिपाते गुमटी की आड़ मे दुकान से चुराए हुए 65000/- रूपये मे से हम दोनों ने 7620/- रू0 खर्च कर डाले और शेष बचे 57380/- रु0 को आपस मे बराबर-बराबर बाट कर भागने की फिराक मे थे कि आप लोगो ने हम दोनों को पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. संतोष कुमार भारती उर्फ मास पुत्र राजकुमार भारती निवासी डीह बाबा मन्दिर नई बस्ती लहरतारा थाना मण्डुवाडीह वाराणसी, उम्र करीब 22 वर्ष।
2. विनोद कुमार उर्फ कल्लू पुत्र महेन्द्र प्रसाद निवासी डीह बाबा मन्दिर के पीछे नई बस्ती लहरतारा थाना मण्डुवाडीह वाराणसी, उम्र 26 वर्ष।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय- लहरतारा चौराहे से गेट नं0-04 से, दिनांक-23.07.2024 को समय करीब 02.50 बजे।

बरामदगी का विवरण- चोरी का कुल 57380/-रू0 नगद।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1.प्र0नि0 भरत उपाध्याय थाना मण्डुवाडीह कमिश्नरेट वाराणसी।
2.उ0नि0 पवन कुमार थाना मण्डुवाडीह कमिश्नरेट वाराणसी।
3.उ0नि0 सत्यम तिवारी थाना मण्डुवाडीह कमिश्नरेट वाराणसी।
4.उ0नि0 सुरेन्द्र कुमार यादव थाना मण्डुवाडीह कमिश्नरेट वाराणसी।
5.हे0का0 दयाशंकर शर्मा थाना मण्डुवाडीह कमिश्नरेट वाराणसी।
6.हे0का0 विनोद सरोज थाना मण्डुवाडीह कमिश्नरेट वाराणसी।
7.का0 आलोक सरोज थाना मण्डुवाडीह कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी